नवम् मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिला रीवा (म0प्र0)
{समक्ष : सुधीर सिंह ठाकुर}

क्लेम प्रकरण क्रमांक : 18/2022
फाइलिग दिनांक : 05.01.2022
रजिस्ट्रेशन दिनांक : 05.01.2022
फाइलिंग नंबर 94/2022
CNR NO MP-1701-000242-2022

1. अनीता दुबे पत्नी स्व. श्री जीतेन्द्र कुमार दुबे, उम्र 44 वर्ष, पेशा घरूकार्य,
2. सूरज दुबे पुत्र स्व. श्री जीतेन्द्र दुबे, उम्र 24 वर्ष, पेशा पढ़ाई,
3. अंकित दुबे पुत्र स्व. श्री जीतेन्द्र कुमार दुबे, उम्र 17 वर्ष,
4. ममता दुबे पुत्री स्व. श्री जागेश्वर दुबे, उम्र 50 वर्ष, पेशा घरूकार्य,

आवेदक कमांक 03 नाबालिग बली संरक्षिका मां अनीता दुबे पत्नी स्व. जीतेन्द्र कुमार दुबे, सभी निवासी ग्राम दुबगवां, थाना मनगवां, जिला रीवा म.प्र.

...............आवेदकगण

बनाम

1. हीरामणि पाण्डेय पुत्र श्री महावीर पाण्डेय, पेशा खेती, निवासी ग्राम केचुहा, पोस्ट मिसिरगवां, थाना नईगढ़ी, जिला रीवा म.प्र. **वाहन मालिक**
2. मैग्मा एच.डी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड डेवलपमेंट हाउस 24 पार्क स्ट्रीट राजकोट, गुजरात **बीमाकर्ता कंपनी**

...........अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री अशोक तिवारी अधि0।
अनावेदक क्र0 01 द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार मिश्रा अधि0।
अनावेदक क्र. 02 द्वारा श्री सुनील पाण्डेय अधि0।

–:: अधिनिर्णय ::–
{ आज दिनांक 31.07.2026 को घोषित }

1. धारा 166 मोटर यान अधिनियम 1988 (अत्र पश्चात् अधिनियम 1988 से निर्दिष्ट) के अंतर्गत, यह आवेदन दिनांक 07.12.2021 को समय सायं 04:30 बजे

स्थान ग्राम दुवगवां, नेशनल हाईवे नंबर 135, थाना मनगवां, जिला रीवा म.प्र. में वाहन मोटरसाइकिल क. एम.पी.17–एन.ए.–5874 **(अत्र पश्चात् प्रश्नगत वाहन से संबोधित)** से हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृतक जीतेन्द्र कुमार दुबे की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विधिक प्रतिनिधिगण ने रूपये 39,60,000/– रुपये की राशि बतौर क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु, अनावेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। **(इस अधिनिर्णय में जहां कहीं भी शब्द केवल मृतक लेख हो तब उसका अर्थ मृतक जीतेन्द्र कुमार दुबे से लगाया जाएगा)**

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अनावेदक कमांक–01, दुर्घटनाकारी वाहन का मालिक एवं अनावेदक कमांक–02 उक्त वाहन की बीमा कंपनी है।

3. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन का सार यह है कि दिनांक 07.12.2021 को आवेदिका क. 1 के पति जीतेन्द्र कुमार दुबे अपने घर से अंजनी दुबे के घर की तरफ जा रहे थे, सायं लगभग 04:30 बजे मनगवां की तरफ से गलत साइड से आ रही मोटरसाइकिल क. एम.पी.17–एन.ए.–5874 का चालक मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ आया एवं आवेदिका क. 1 के पति जीतेन्द्र कुमार दुबे को ठोकर मार दिया। जिससे मृतक को गंभीर चोटे आई उसे इलाज हेतु एसजीएमएच रीवा लाया गया, जहां उनकी हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उन्हें उसी दिनांक को विंध्या हॉस्पिटल रीवा में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान दिनांक 11.12.2021 को उनकी मृत्यु हो गई। जिस पर थाना मनगवां, जिला रीवा में अपराध क. 687/2021 पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत चालान संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अतः आवेदकगण ने अपने आवेदन के माध्यम से सहायता चाही है कि उनका आवेदन स्वीकार कर उन्हें अनावेदकगण से संयुक्ततः अथवा पृथक–पृथक रूप से 39,60,000/– रुपये की राशि बतौर क्षतिपूर्ति दिलायी जावे।

4. अनावेदक कमांक– 01 ने आवेदकगण के आवेदन का जबाव प्रस्तुत करते हुए स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त आवेदकगण के संपूर्ण अभिवचन को इनकार किया,

यह अभिवचन किया कि अनावेदक क्र. 1 मोटरसाइकिल क्र. एमपी17–एनए–5874 का रजिस्टर्ड स्वामी है, जो मैग्मा एच.डी.आई. इंश्योरेंस कंपनी से घटना दिनांक को बीमित था तथा घटना दिनांक को उक्त वाहन सुनील कुमार मिश्रा पुत्र एस.एस. मिश्रा चला रहा था, किन्तु दिनांक 15.12.2022 को सुनील कुमार मिश्रा की मृत्यु हो चुकी है। कथित घटना दिनांक को अनावेदक के वाहन द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है। यदि किसी परिस्थिति में अनावेदक को क्षतिपूर्ति का पात्र ठहराया जाता है तो समस्त क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व अनावेदक क्र. 2 बीमा कंपनी का होगा। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदकगण का दावा अनावेदक क्र0 01 के विरुद्ध निरस्त करने का निवेदन न्यायालय से किया है।

5. अनावेदक क्रमांक– 02 ने आवेदकगण के आवेदन का जबाव प्रस्तुत करते हुए स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त आवेदकगण के संपूर्ण अभिवचन को इनकार किया, यह अभिवचन किया कि दुर्घटना दिनांक को वाहन चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी लाईसेंस नही था जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। दुर्घटना प्रश्नाधीन वाहन से नहीं हुई है, जिससे आवेदकगण एवं अनावेदक क्र. 1 के मध्य दुर्घटना एवं अन्य तथ्यों के संबंध में आपसी दुरभिसंधि होने की संभावना है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदकगण का दावा अनावेदक क्र0 02 के विरूद्ध निरस्त करने का निवेदन न्यायालय से किया है।

6. उभयपक्षों की ओर प्रस्तुत अभिवचन के आधार पर विरचित किये गये वादप्रश्न निम्नलिखित हैं। जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष दिये गये हैंः–

स.क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1–	क्या दिनांक 07.12.2021 को समय 04:30 बजे सायं स्थान ग्राम दुबगवां, थाना मनगवां, जिला रीवा म.प्र. में अनावेदक क्र. 1 वाहन चालक द्वारा वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.17–एन.ए.–5874 को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटनाग्रस्त किया गया?	''प्रमाणित''

2—	क्या उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप जीतेन्द्र कुमार दुबे को गंभीर चोटें कारित हुई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुई?	**''प्रमाणित''**
3—	क्या उक्त वाहन चालक के पास दुर्घटना दिनांक को वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था?	**''प्रश्नगत वाहन का बीमित होना प्रमाणित एवं उक्त वाहन को बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जाना प्रमाणित नहीं''**
4—	क्या दुर्घटना दिनांक को दुर्घटना कारित वाहन द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत वाहन का संचालन किया जा रहा था?	
5—	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्ततः या पृथकतः क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं?	**''अधिनिर्णय की कंडिका के 29 अनुसार''**
6—	सहायता एवं व्यय?	

<u>सकारण निष्कर्ष</u>

7. आवेदकगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्र0पी0 1 लगायत प्र0पी0 68 तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में 03 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया है।

<u>वादप्रश्न कमांक 01 एवं 02 की विवेचना व निष्कर्ष</u>

8. उपरोक्त दोनों वादप्रश्न परस्पर सम्मिश्रित हैं, उनके लिए एक ही प्रकार के साक्ष्य का अवलोकन किया जाना है, अतः साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने हेतु एवं सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। उक्त विचारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने का भार आवेदकगण पर है। अंकित दुबे (अ0सा0—01) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि घटना दिनांक 07. 12.2021 को शाम के करीब 04:30 बजे की है। उक्त दिनांक को उसके पिता

जितेन्द्र कुमार दुबे अपने घर से अंजनी के घर की ओर जा रहे थे तथा जैसे ही अंजनी के घर पहुंचने वाले थे, तभी सामने से मोटर सायकिल का चालक मोटर सायकिल को काफी तेज चलाकर व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसके पिता जी को टक्कर मार दिया, जिससे उसके पिता जी को सिर व शरीर के अन्य भागों में गम्भीर चोट आयी। इलाज के दौरान उसके पिता जी की दिनांक 11.12.2021 को मृत्यु हो गयी थी।

9. साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में मोटरसाइकिल के चालक द्वारा तेजी व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर उसके पिता को टक्कर मारने की जो बात बताई है, वह अन्य व्यक्ति के बताये अनुसार बताई है। घटना दिनांक 07.12.2021 को ही उसके पिता की मृत्यु दुर्घटना के चार दिन बाद दिनांक 11.12.2021 को हुई थी। उक्त चार दिन की अवधि में उसके पिता विंध्या हॉस्पिटल रीवा में एडमिट थे। घ टना की रिपोर्ट उसके भाई संगम दुबे द्वारा थाना मनगवां में लिखाई गई थी।

10. दुर्घटना के चक्षुदर्शी साक्षी संगम दुबे (अ0सा0—02) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि घटना 07.12.2021 की शाम 04:30 बजे स्थान ग्राम दुबगवां थाना मनगंवा जिला रीवा की है। जितेन्द्र कुमार दुबे अपने घर से अंजनी कुमार दुबे घर पैदल जा रहे थे, तभी मनगंवा की तरफ से मउगंज की तरफ जा रहा मोटर सायकिल कमांक एम.पी 17—एन.ए.—5874 का चालक तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये वाहन को गलत दिशा में लेजाकर जितेन्द्र कुमार दुबे को टक्कर मार दी, जिससे वह घटना स्थल पर गिर गये तथा उन्हे सिर तथा शरीर के अन्य भागों में गम्भीर चोटे आयी थी। जितेन्द्र कुमार दुबे को ईलाज हेतु संजय गाधी अस्पताल लेकर गये थे, जंहा पर उनका दो से ढाई घण्टे तक ईलाज चला था, उन्हे आगे के ईलाज के लिये विन्ध्या अस्पताल लेकर गये थे, जंहा उनकी मृत्यु ईलाज के दौरान दिनांक 11.12.2021 को हो गयी थी। दुर्घटना के समय उसके यहा मेहमान आ रहे थे तो वह रोड के किनारे हनुमान मन्दिर के पास खड़ा था। घटना उसके

सामने 'घटित हुयी थी। पुलिस ने घटना के सबंध में उसका बयान लिया था।

11. साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना नेशनल हाईवे 144 की है, जो रीवा–बनारस रोड पर है। वह घटनास्थल से 40 मीटर की दूरी पर था। वह भी आहत को भर्ती कराने संजय गांधी हॉस्पिटल गया था। दुर्घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा लेख कराई गई थी। उसे दुर्घटना के बाद 10–15 दिन के अंतराल से पुलिस ने बुलाया था।

12. साक्षी धर्मेन्द्रनाथ दुबे (आ.सा.–3) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि घटना दिनांक 07.12.21 की शाम 4:30 बजे की है। उसका घर और जीतेन्द्र कुमार का घर आमने सामने है। घटना दिनांक को जीतेन्द्र दुबे अपने घर से उसके घर आ रहे थे। जीतेन्द्र दुबे उसके घर के पास पटरी पार कर चुके थे तभी गलत साईड से वाहन हीरो डीलक्स मोटर सायकल कमांक एम०पी०–17एन0ए0–5874 का चालक सामने वाला 45–50 किमी की रफ्तार से आया और जीतेन्द्र दुबे को पीछे से ठोकर मार दिया, जिससे जीतेन्द्र मोटर सायकल की ठोकर लगने से गिर गया। मोटर सायकल भी दुर्घटना स्थल पर गिर गया। वह दोनो लोगों को कार से लेकर संजय गांधी अस्पताल लया था और दोनो लोगों को संजय गाँधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर उनके परिजन संजय गाँधी अस्पताल में आ गये थे। मोटर सायकल को अपने घर में खड़ा कर लिया था। मोटर सायकल तीन दिन तक मेरे घर में खड़ी थी। तीन दिन बाद पुलिस के लोग उक्त मोटर सायकल को ले गये थे। उक्त मोटर सायकल काले रंग की थी व टंकी में नीली पट्टी थी। घ टना स्थल का जो नक्शा बना है उसमें जो अंजनी कुमार लेख है वह उसके पिता जी हैं।

13. साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पुलिस जब उसका बयान लेने के लिए आई थी, तब उसने बयान दिया था। दुर्घटना स्थल से उसका घर 50 फीट की दूरी पर है। वह स्वयं मृतक को संजय गांधी अस्पताल लेकर गया था, जहां चिकित्सक ने उससे पूछा था कि आहत को चोटे कैसे आई तो उसने बताया

था कि एक्सिडेंट से मोटरसाइकिल से ठोकर लग जाने से आई हैं।

14. आवेदक ने उक्त मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय के न्यायालय से प्राप्त मर्ग इन्टीमेशन प्र.पी–1, अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण प्र.पी 2, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी 3, एमएलसी सूचना प्र.पी 4, शव परीक्षण के लिये आवेदन प्र.पी 5, शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी 6 व प्र.पी 7, पंचायतनामा प्र.पी 8, नक्शा पंचायतनामा प्र.पी 9, अपराध विवरण फार्म प्र.पी 10. सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी 11 व प्र.पी 12, धारा 133 की नोटिस प्र.पी 13, धारा 41 की नोटिस प्र.पी 14, वाहन मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र.पी 15, अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी 16, आवेदक के पिता के मृत्यु पूर्व इलाज के पर्चे, बिल व पैथालॉजी रिपोर्ट प्र.पी 17 लगायत प्र.पी 68 पेश किया है। उक्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रपी–1 मर्ग इंटीमेशन दुर्घटना दिनांक 11.12.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–3 प्रश्नगत वाहन के चालक के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। एसजीएमएच की एमएलसी प्रपी–4 के अनुसार दिनांक 11.12.2021 को जितेन्द्र दुबे को एसजीएमएच लाया गया था, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव परीक्षण के लिए आवेदन प्रपी–5 एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी–6 के अनुसार मृतक के शव का शव परीक्षण किया गया। अपराध विवरण का फॉर्म प्रपी–10 के अनुसार दुर्घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। प्रपी–16 के अनुसार संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

15. हस्तगत प्रकरण क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण है, न कि आपराधिक प्रकरण। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायदृष्टांतों की सहायता ली जा सकती है। **न्याय दृष्टांत– नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध रत्तानी एवं अन्य ए.आई.आर. 2009 सुप्रीम कोर्ट 1499** में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि मोटरयान अधिनियम से संबंधित क्लेम प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम सूचना प्रतिवेदन भले ही साक्ष्य में कठोरता से ग्राह्य न हो तब भी क्लेम के निराकरण के

लिये इस प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों को देखा जा सकता है। **न्याय दृष्टांत विमला देवी एवं अन्य विरूद्ध हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एवं अन्य ए.आई.आर.–2009 सुप्रीम कोर्ट 2819** में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि क्लेम प्रकरण में दुर्घटना को कठोरता से साबित नहीं किया जा सकता और ऐसे प्रकरण में तथ्यों को संदेह से परे प्रमाणित करने का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। **न्याय दृष्टांत परमेश्वरी विरूद्ध अमीरचंद एवं अन्य ए.आई.आर. 2011 सुप्रीम कोर्ट 1504** में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि मोटरयान अधिनियम से संबंधित क्लेम प्रकरण में दाण्डिक प्रकरण की तरह साबित किये जाने हेतु अनिवार्य सबूतों जैसा सिद्धान्त लागू नहीं होता है।

16. दुर्घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के कथनो का कोई खण्डन प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। आवेदक के कथनों का समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य से होती है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि दिनांक 07.12. 2021 को समय 04:30 बजे सायं स्थान ग्राम दुबगवां, थाना मनगवां, जिला रीवा म. प्र. में अनावेदक क्र. 1 वाहन चालक द्वारा वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 17–एन.ए.–5874 को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटनाग्रस्त किया गया जिसके फलस्परूप जीतेन्द्र कुमार दुबे को गंभीर चोट आने से मृत्यु कारित हुई।

17. तद्नुसार वाद प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का निष्कर्ष **''प्रमाणित''** के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

<u>वादप्रश्न क्रमांक 02 व 03 की विवेचना व निष्कर्ष</u>

18. उक्त विचारणीय प्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्र. 02 पर है। संपत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 12 के अनुसार प्रश्नगत वाहन का रजिस्ट्रेशन, उक्त वाहन का बीमा दिनांक 02.08.2021 से 01.08.2022 तक एवं ड्रायविंग लाईसेंस दिनांक 29.06.2029 तक वैध व प्रभावी होना लेख है। प्रकरण में दुर्घटना दिनांक

07.12.2021 की है। उक्त साक्ष्य के विरूद्ध अनावेदक क्र. 2 द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही की गई है न ही किसी साक्षी को परीक्षित कराया गया है। अतः दुर्घटना के समय वाहन प्रश्नगत वाहन अनावेदक क्र. 2 के यहां बीमित था एवं उक्त वाहन को बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में नही चलाया जा रहा था।

19. तद्नुसार वादप्रश्न क्रमांक 3 व 4 का निष्कर्ष **''प्रश्नगत वाहन का बीमित होना प्रमाणित तथा बीमा पॉलिसी की शर्तो के उल्लंघन में चलाया जाना प्रमाणित नहीं''** के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 05 की विवेचना व निष्कर्ष

20. उक्त वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार आवेदकगण पर है। आवेदकगण ने मृतक की वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप कुल 39,60,000/—रुपये की राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से बतौर क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की सहायता अपने आवेदन के माध्यम से चाही है। आवेदकगण को मृतक की मृत्यु पर क्षतिपूर्ति राशि कितनी दिलायी जाये इस बात का निर्धारण करने के लिये अधिकरण को मृतक की आयु, आय व आश्रितो की संख्या का निर्धारण करना होगा।

21. सर्वप्रथम अधिकरण द्वारा मृतक की आयु पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में अंकित दुबे (आ0सा0—01) ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में उसके पिता की आयु 44 वर्ष बताई है। आवेदक द्वारा मृतक की आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया। प्रकरण में संलग्न शव परीक्षण के लिए आवेदन प्र0पी0 5, शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी0 7, मृत्यु जांच में उपस्थित होने के लिए आवेदन प्र0पी0 8 में मृतक की आयु 46 वर्ष होना लेख है। उक्त आधार पर दुर्घटना दिनांक को मृतक की उम्र 46 वर्ष होना अभिनिर्धारित की जाती है। इस प्रकार मृतक 46 से 50 के वर्ग में आयेगा।

22. अब अधिकरण को दुर्घटना के समय मृतक की आय क्या थी? इस तथ्य पर विचार किया जा रहा है। आवेदक अंकित दुबे (आ0सा0—01) ने अपने साक्ष्य के

में बताया है कि उसके पिता दुर्घटना के पूर्व गोयल कंपनी में ट्रक क्लीनर का काम करते थे जहां से उन्हें 10,000/— रूपये मासिक वेतन एवं 100/— रूपये प्रतिदिन खुरागी मिलती थी। प्रकरण मे मृतक की आय के संबंध में कोई भी दस्तावेज संलग्न नही है। ऐसी परिस्थिति में प्रकरण में मृतक की आय की गणना नोशनल आय के आधार पर किया जाना समुचित होगा। घटना वर्ष 2021 की है अतः मृतक की नोशनल आय 6000/— रूपये मासिक विनिश्चित किया जाना समुचित होगा। तद्नुसार प्रकरण में मृतक की आय 6000/—रूपये मासिक या 72,000/— रूपये वार्षिक होना यह अधिकरण अभिनिश्चित करता है। दुर्घटना के समय मृतक की आयु 46 वर्ष निर्धारित की गई है। **इस कारण न्याय दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रनय सेठी एवं अन्य 2017 भाग—13 इस्केल पेज 12 एवं न्याय दृष्टांत हेमराज विरूद्ध ओरिऐंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2018 ए0 सी0 जे0 पेज 5** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार मृतक की प्रमाणित पायी गई कुल आय 72,000/—रूपये प्रतिवर्ष में उसकी भविष्य की संभावनाओं के लिए 25 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना समुचित है क्योकि मृतक की आय की गणना नोशनल आधार पर की गई है अतः भविष्य की संभावनाओं की वृद्धि करने के पश्चात् मृतक की आय 90,000/— रूपये वार्षिक होना अधिकरण द्वारा अभिनिर्धारित किया जाता है।

23. अब अधिकरण द्वारा मृतक पर आश्रितों की संख्या पर विचार किया जा रहा है। मृतक की मृत्यु वाहन दुर्घटना में हो जाने पर उसकी पत्नी, दो पुत्र एवं बहन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका क्र. 4 मृतक की बहन है जिसकी आयु 50 वर्ष है, अतः वह मृतक पर आश्रित हो नहीं माना जा सकता। इस प्रकार मृतक पर आश्रित कुल व्यक्तियों की संख्या 3 अभिनिर्धारित की जाती है। इस कारण **न्याय दृष्टांत सरला वर्मा विरूद्ध देहली परिवहन निगम 2009 भाग 6 एस0 सी0 सी0 पेज 21** में प्रतिपादित विधि सिद्धांत के अनुसार मृतक की प्रमाणित पाई कई कुल वार्षिक आय 90,000/—रुपये में से कुल 1/3 हिस्से की कटौती किया

जाना समुचित होगा क्योंकि मृतक पर दुर्घटना के समय आश्रितो की संख्या 3 है। अतः आवेदकगण की मृतक पर कुल आश्रितता 60,000/—रुपये प्रतिवर्ष होना प्रमाणित पाई जाती है। दुर्घटना के समय मृतक की आयु 46 वर्ष होना प्रमाणित पाई गई है इस कारण **न्याय दृष्टांत सरला वर्मा विरूद्ध देहली परिवहन निगम 2009 भाग 6 एस0 सी0 सी0 पेज 21** में प्रतिपादित विधि सिद्धांत के अनुसार मृतक की उम्र 46 वर्ष पर 13 का गुणांक प्रयोज्य किया जाना न्यायोचित है। अतः आवेदकगण की मृतक पर प्रमाणित पायी गई कुल आश्रितता 60,000/— रूपये प्रतिवर्ष में 13 का गुणांक प्रयोज्य किये जाने पर आवेदकगण की मृतक पर कुल आश्रितता 60,000 X 13 = 7,80,000/—रुपये होना प्रमाणित पाई जाती है।

24. इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च **न्यायालय के न्याय दृष्टांत न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सोमवती एवं अन्य सिविल अपील क्र. 3093/2020 निराकृत दिनांक 07.09.2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत मेगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानूराम व अन्य (2018) 18 एससीसी 130 एवं यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर व अन्य (2020)** में दिये गये अभिमत को विचार में लेते हुए अभिनिर्धारित सिद्धांत के अनुसार पैरेन्टल कंसोटियम, माता—पिता के असाम्यिक निधन होने पर पुत्र—पुत्री को तथा फीलियल कंसोटियम बच्चो के अवयस्क पुत्र—पुत्री के निधन होने पर माता—पिता को तथा मैरिटल कंसोटियम पत्नी को पति के निधन होने पर प्रतिकर पाने का अधिकारी होना माना गया है।

25. उपरोक्त न्याय दृष्टांत में अभिनिर्धारित सिद्धांत अनुसार हस्तगत प्रकरण में मृतक की मृत्यु होने से उसकी पत्नी को मैरिटल कर्सोटियम के रूप में 40,000/— रूपये, मृतक के दो पुत्र होने से उन्हे पैरेन्टल कर्सोटियम के रूप में प्रत्येक को 40,000— 40,000/— रूपये **न्याय दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रनय सेठी एवं अन्य 2017 भाग—13 इस्केल पेज 12** में दिये गये

निर्देश के अनुसार, आवेदकगण को दाह संस्कार में शीर्ष में 15,000/–रुपये की राशि अर्थात् कन्वेन्सनल शीर्षक में कुल राशि 1,35,000/– रूपये होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्याय दृष्टांत में निर्देशित किया गया है कि निर्णय दिनांक 31.10.17 से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् उक्त राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है अतः इस मद में कुल 1,35,000/– रूपये में 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने पर 1,48,500/– रूपये कंसोंटियम के रूप में प्रतिकर प्राप्त किया जाना मान्य किया जायेगा।

26. जहां तक मृतक की मृत्यु पूर्व दुर्घटना में आई चोटों के कारण उसके इलाज की राशि दिलाये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में आवेदक ने मृतक के इलाज के बिल प्र0पी0 19 लगायत 46 पेश किये है। उक्त बिलो में 23, 25, 35,36 एडवांश राशि के बिल है उक्त बिलों को प्र0पी0 42 के बिल में समायोजित किया गया है। उक्त बिलों को छोडकर शेष बिल कुल 92,300/– रूपये के पेश किये है। उक्त राशि मृतक के इलाज में अवश्य खर्च हुई होगी। अतः मृतक की मृत्यु पूर्व इलाज पर खर्च राशि कुल 92,300/–रूपये दिलाया जाना समुचित पाया जाता है।

27. इस प्रकार उक्त स्वीकृत की गई सभी प्रकार की राशि को मिलाने पर आवेदकगण, अनावेदकगण से 7,80,000+ 1,48,500+ 92,300 =**10,20,800/– रुपये (दस लाख बीस हजार आठ सौ रूपये)** की राशि बतौर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

28. जहां तक आवेदकगण को क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है तो आवेदकगण ने अपने आवेदन में कुल क्षतिपूर्ति राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दिलाये जाने की मांग अधिकरण से की है। किन्तु यह अधिकरण आवेदकगण को कुल क्षतिपूर्ति राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ही ब्याज दिलाये जाना समीचीन पाता है। तद्नुसार वादप्रश्न क्रमांक 05 का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है कि आवेदकगण, अनावेदकगण से मृतिका की मृत्यु पर कुल **10,20,800/– रुपये (दस लाख बीस हजार आठ सौ रूपये)** की

राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से बतौर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अनुतोष एवं व्यय

29. उपरोक्त सम्पूर्ण वादप्रश्न की विवेचना एवं उनमें दिये गये निष्कर्ष के आधार पर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 166 मोटरयान अधिनियम अनावेदकगण के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और आवेदकगण के पक्ष में तथा अनावेदकगण के विरूद्ध निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है।

1. यह कि अनावेदकगण, संयुक्ततः अथवा पृथक–पृथक रूप से, सर्वप्रथम अनावेदक क्र. 02, आवेदकगण को कुल **10,20,800/– रुपये (दस लाख बीस हजार आठ सौ रूपये)** की राशि बतौर क्षतिपूर्ति अदा करें।

2. यह कि अनावेदकगण, उपरोक्त क्षति धनराशि पर आवेदन पत्र प्रस्तुति दिनांक 05.01.2022 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज भी अदा करेंगे।

3. संपूर्ण क्षतिपूर्ति धनराशि मय ब्याज अधिकरण में जमा होने पर उसमें से आवेदक क्र. 01 को 50 प्रतिशत, आवेदक क्र. 02 व 03 को 25–25 प्रतिशत राशि अदा की जावे।

4. आवेदक क्र. 1 लगायत 3 को प्राप्त होने वाली संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज में से 40 प्रतिशत राशि नगद बचत खाते के माध्यम से अदा की जावे तथा शेष क्षतिपूर्ति राशि पांच वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना के अंतर्गत जमा रखी जावे।

5. यह कि यदि आवेदकगण को कोई अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया तो तब उक्त राशि को कम करके ही शेष क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान आवेदकगण को किया जाएगा।

6. यह कि अनावेदकगण स्वयं का व्यय एवं आवेदकगण का वाद व्यय भी

वहन करेगा। अधिवक्ता शुल्क 1,000 /—रुपये अभिनिर्धारित किया जाता है।

30. तद्नुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

31. अधिनिर्णय की सत्यप्रतिलिपि उभयपक्ष को निःशुल्क दी जावे।

32. प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. पंजी में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।	मेरे निर्देश पर टंकित।
सही / — **(सुधीर सिंह ठाकुर)** नवम् मो0दु0दा0अधि0 रीवा म0प्र0	**सही / —** **(सुधीर सिंह ठाकुर)** नवम् मो0दु0दा0अधि0 रीवा म0प्र0

रीवा, (म.प्र.)

दिनांकः—31.07.2026

SUDHIR SINGH THAKUR

Digitally signed by SUDHIR SINGH THAKUR
Date: 2026.07.31 17:37:32 +0530